

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब./2020/
दिनांक:

601

24/06/20

सेवा में,

प्रबन्धक,
विमला शंकर विधि महाविद्यालय, एकावसपट्टी, भितरी,
गाजीपुर।

विषय:— नवनिर्वाचित प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-12.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्रबन्धक, विमला शंकर विधि महाविद्यालय, एकावसपट्टी, भितरी, गाजीपुर की नवगठित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्राप्त अभिलेखों पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रबन्ध समिति को चुनाव तिथि दिनांक-04.02.1020 से पाँच वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद नाम
1	श्री कामता प्रसाद राय	स्व० काशीनाथ राय	ग्राम व पो०-धुर्वाजुन, गाजीपुर	अध्यक्ष
2	श्री नित्यानन्द सिंह यादव	स्व० उमाशंकर सिंह यादव	ग्राम-पौटा, पो०-भितरी, गाजीपुर	उपाध्यक्ष
3	श्री राजेश यादव	श्री शंकर सिंह यादव	एकावसपट्टी, भितरी, गाजीपुर	प्रबन्धक
4	श्री गौरव सिंह	श्री शैलेश सिंह	ग्राम-पहाड़पुर, पो०-दौलतपुर, गाजीपुर	कोषाध्यक्ष
5	श्री अताउल मुस्तफा सिद्दीकी	श्री मु० नूर	ग्राम व पो०-भितरी, गाजीपुर	सदस्य
6	श्री मुशी यादव	श्री गौतम यादव	ग्राम-बड़नपुर, पो०-रसूलपुर, पचरासी, गाजीपुर	सदस्य

उपरोक्त प्रबन्ध समिति में प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में सम्बद्ध परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार होगा।

भवदीय

कुलसचिव